जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 15.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 453/24 धारा 302/120-B/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि सुशील की हत्या करने वाला एक बदमाश चांदपुर की तरफ से काले रंग की स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल पर बिजनौर किसी से मिलने आ रहा है। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल को नहीं रोका और नहर की पटरी-पटरी बैराज की तरफ भागने लगा, जिससे मोटरसाईकिल गिर गयी और बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से 05 राउण्ड फायर किये, जिसमे से एक गोली व0उ0नि0 मृदुल कुमार की पहनी बुलेट प्रुफ जैकेट पर लगी। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में 02 राउण्ड फायर किये जिसमें से एक गोली बदमाश के बाये पैर में लगी तथा उक्त बदमाश को घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ पर बदमाश ने अपना नाम केशव उर्फ कमल पुत्र गोविन्द निवासी म0न0 डी-5875 राजीव नगर शमसाबाद पलवर हरियाणा बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से 05 खोखा कारतूस एवं स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल बरामद की गयी। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, बिजनौर में भर्ती कराया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 453/24 धारा 302/120-B/34 भादवि में वांछित है। थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग का अनावरण करते हुए षडयंत्र रचने वाले 09 अभियुक्तगण 1.वसीम 2.अतुल चौधरी 3.नईमुद्दीन 4.शुभम चौधरी 5.अरनव तोमर 6.हसीन 7.फैजान व 8.सालिक 9. अजीज को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ विवरण –

विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्त कमल उपरोक्त ने बताया कि मुझे व एक अन्य शूटर को सालिक ने जनपद बिजनौर के प्रॉपर्टी डीलर सुशील की हत्या करने के लिये बुलाया था और इस काम के लिये 2.5 लाख रुपये दिलवाये थे। योजनानुसार दिनांक 29.05.2024 को मेरे व मेरे अन्य साथी शूटर द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। हमारा जनपद बिजनौर में ही दो अन्य लोगों की हत्या करने का भी प्लान था।

नोटः- पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम के सराहनीय कार्य हेतु 25,000/- रुपये के इनाम की घोषणा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

केशव उर्फ कमल पुत्र गोविन्द निवासी म0न0 डी0-5875 राजीव नगर शमसाबाद पलवल हरियाणा।

बरामदगी –

1-एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से 05 खोखा कारतूस
2-स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20AD-6417
3- एक मोबाइल जियो कंपनी व 500 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री उदयप्रताप थाना प्रभारी कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. श्री जयवीर सिंह, प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर।
3. व0उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतावली शहर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 मीरहसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी प्रवेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
7. मुख्य आरक्षी जोगेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
8. आरक्षी आकाश कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
9. आरक्षी विशाल चिकारा सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
10. आरक्षी सुजीत तोमर सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
11. आरक्षी मोनू कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
12. आरक्षी विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
13. आरक्षी विजय देशवाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
14. आरक्षी विजय तोमर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
15. आरक्षी शुभम सरोहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 15.06.2024

यातायात पुलिस द्वारा अनाधिकृत रुप से 08 वाहनों पर लगी लाल/नीली बत्ती तथा 03 वाहनो से हूटर/सायरन उतारे गये।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.06.2024 को यातायात पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे सघंन चैकिंग अभियान के अन्तर्गत अनाधिकृत रुप से हूटर/सायरन एवं लाल/नीली बत्ती लगाकर चल रहे वाहनों की चेकिंग की गयी।

चेकिंग के दौरान 08 वाहनो से लाल/नीली बत्ती तथा 03 वाहनो से हूटर उतरवाये गये तथा नियमानुसार कार्यवाही की गयी। इस दौरान शराब / मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वालों की भी चैकिंग की गयी तथा नियामानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 15.06.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 147,148,323/149,324/149 भादवि के 09 आरोपी अभियुक्तो को 02-02 वर्ष के कारावास व कुल 49,500/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2011 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र हरदेव सिंह निवासी ग्राम कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- आसाराम उर्फ आशे पुत्र शिवचरण सिंह 2- ब्रजवीर सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह 3- मुनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह 4- सुनील सिंह पुत्र गोविंद सिंह 5- राजकुमार सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह 6- पीतम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह 7- विजय सिंह पुत्र घसीटा सिंह 8- मंगू सिंह पुत्र छम्मन सिंह 9- पुखराज पुत्र हिम्मत सिंह निवासीगण ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के परिवार के सदस्यो को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया तथा लाठी डंडो से मारपीट करते हुए गाली गलौच की गई। इस संबंध में थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 187/11 धारा 147,148, 307/149, /149, 324/149, 506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-II, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 187/11 धारा 147,148,323/149,324/149 के आरोपी अभियुक्तगण 1- आसाराम उर्फ आशे पुत्र शिवचरण सिंह 2- ब्रजवीर सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह 3- मुनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह 4- सुनील सिंह पुत्र गोविंद सिंह 5- राजकुमार सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह 6- पीतम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह 7- विजय सिंह पुत्र घसीटा सिंह 8- मंगू सिंह पुत्र छम्मन सिंह 9- पुखराज पुत्र हिम्मत

सिंह निवासीगण ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को 02-02 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 5500/- रुपये कुल 49,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- आसाराम उर्फ आशे पुत्र शिवचरण सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
2- ब्रजवीर सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3- मुनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
4- सुनील सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
5- राजकुमार सिंह पुत्र ज्ञानी सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
6- पीतम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
7- विजय सिंह पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
8- मंगू सिंह पुत्र छम्मन सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
9- पुखराज पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम काठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक-15.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 339/2024 धारा 452/354/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.04.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त गुलफाम पुत्र इरफान निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें की गयी तथा शोर मचाने पर परिजनों के आ जाने पर वादिनी की पुत्री के फोटों वायरल करने व सबको झूठे मुकदमें में फँसाने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 339/2024 धारा 452/354/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 339/2024 धारा 452/354/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गुलफाम पुत्र इरफान निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलफाम पुत्र इरफान निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राम किशोर गौतम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 580 राहुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 1812 आकाश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 15.06.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2020 को अभियुक्तगण दानिश पुत्र रहीश निवासी मौ0 पुरानी बस्ती कोतवाली देहात जनपद बिजनौर आदि कुल 03 नफर के विरुद्ध भौतिक एंव आर्थिक लाभों की पूर्ति के उद्देश्य से क्षेत्र में वाहन चोरी जैसे अपराध कारित कर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किये जाने के संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 250/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06 जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 250/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त दानिश पुत्र रहीश निवासी मौ0 पुरानी बस्ती थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- दानिश पुत्र रहीश निवासी मौ0 पुरानी बस्ती थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 15.06.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 282/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त गमछे सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.06.2024 को वादी श्री जुनैद पुत्र जाहिद हुसैन निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी द्वारा अभियुक्तगण 1.साहिल 2.साहिब 3.रिहान पुत्रगण नाजिम कुरैशी 4.काजिम पुत्र बाबू कुरैशी निवासीगण ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर को दिये गये उधार रुपयों को वादी द्वारा वापस मांगने पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली – गलौच तथा मारपीट करते हुए गमछे से गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 282/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि बनाम साहिल आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त काजिम पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त गमछे सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

काजिम पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त गमछा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 448 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 722 रजनेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 752 रविमान थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 15.06.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 वांरटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों ओमप्रकाश सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी ग्राम गंगूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व भोपाल पुत्र वसन्ता सिंह निवासी ग्राम सिकन्दपुर बसी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. ओमप्रकाश सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी ग्राम गंगूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. भोपाल पुत्र वसन्ता सिंह निवासी ग्राम सिकन्दपुर बसी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. का0 1364 रवि कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 15.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त लेखराज पुत्र सुख्खे सिंह निवासी ग्राम आदोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लेखराज पुत्र सुख्खे सिंह निवासी ग्राम आदोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1364 रवि कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनांक- 15.06.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त परम सिंह पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम अभियुक्त परम सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

परम सिंह पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त परम सिंह उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 269/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. हे0का0 97 सलीम जावेद थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड़ **दिनांक – 15.06.2024**

थाना रेहड़ पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सहित दो अभियुक्तों को चोरी किये गये आभूषण (कीमत करीब 01 लाख रुपये), नगदी, मोबाइल फोन आदि एवं एक अवैध शस्त्र व चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.06.2024 को वादी श्री अनीस अहमद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कस्बा व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि दिनांक 12/13.06.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी के आभूषण, नगदी एवं मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र बुन्दू शाह 2.शाकिब पुत्र शाहिद 3.दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र अली हुसैन निवासीगण कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी/नकबजनी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी गये माल की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र बुन्दू शाह 2.शाकिब पुत्र शाहिद निवासीगण कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी किये गये आभूषण, नगदी व मोबाइल फोन (शत् प्रतिशत सामान) बरामद किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस तथा एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया। अवैध शस्त्र/चाकू की बरामदगी के सम्बंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 76/24 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम बनाम राशिद व साकिब उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम तीनो ने मिलकर अपने गांव रेहड मे अनीस अहमद के घर से ज्वैलरी, नगदी, पर्स, टूटी गुल्लक आदि जो एक थैले मे रखे थे तथा 12000/- रूपये चोरी किये थे और चोरी के सामान को हम तीनो ने मिलकर कब्रिस्तान मे छिपा दिया था तथा रूपयों को आपस में बांट लिया था। बरामद रुपये उसी चोरी के है, बाकी रूपये खर्च हो गये और जो ज्वैलरी बरामद हुई है वह भी उसी चोरी की है। इसके अलावा हम तीनों ने मिलकर पहले भी कई चोरियां की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण राशिद व शाकिब का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिनके विरुद्ध चोरी, गैंगस्टर आदि विभिन्न गम्भीर धाराओं में स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त राशिद थाना रेहड का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसकी हिस्ट्रीशीट सं0 31ए है। अभियुक्तगण से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्ला की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.राशिद पुत्र बुन्दू शाह निवासी कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर
2.शाकिब पुत्र शाहिद निवासी कस्बा व थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी –

दो झाले पीली धातु, दो झुमकी पीली धातु, दो लौंग पीली धातु, दो अंगूठी पीली धातु, एक बडी नथ पीली धातु, दो बडे झाले पीली धातु, हाथ मे पहनने के दो शौकबन्द पीली धातु, एक टीका पीली धातु, एक गले का सेट (छोटा) पीली धातु, एक गले का सेट (बडा) पीली धातु, एक गले की चेन पीली धातु, एक अगूंठी सफेद धातु, एक गले का पैन्डल सफेद धातु, दो पाजेब सफेद धातु, 5410 /- रूपये नगद, मोबाइल रंग नीला REALME 2 RMX-1805, एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, एक अवैध चाकू, आभूषण रखने के पर्स, बिजली के बिल आदि

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राशिद उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 156/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 131/2020 धारा 380/457/411 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 25/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 359/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5.मुअ0सं0 75/2024 धारा 457/380/411/413/414 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 76/2024 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर

अभियुक्त शाकिब उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 156/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 100/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 43/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 97/2022 धारा 380/411 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 98/2022 धारा 380/411 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 99/2022 धारा 411/413 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना रेहड जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 122/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रेहड जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 117/2023 धारा 411 भादवि0 व 41/102 सीआरपीसी थाना रेहड जनपद बिजनौर
9.मुअ0सं0 75/2024 धारा 457/380/411/413/414 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर
10.मु0अ0सं0 76/2024 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी थाना रेहड जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 227 श्यामवीर सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
4.कां0 333 ललित कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
5.कां0 1397 सतेन्द्र कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 15.06.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व कुल 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 24.04.2023 को वादी श्री इन्द्रदेव पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी के भाई नन्द किशोर उर्फ बिट्टू को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारकर उसके शव को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरवनपुर सडक किनारे छोडकर भाग गये। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 251/23 धारा 302/201 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में विकास पुत्र विजयपाल व अमन पुत्र स्व कमलेश निवासीगण ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर आदि का नाम प्रकाश में आया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर – 1, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 251/23 धारा 302/34/201/506 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1-विकास पुत्र विजयपाल 2- अमन पुत्र कमलेश निवासीगण ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- विकास पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2- अमन पुत्र स्व0 कमलेश निवासी ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

काजीवाला निवासी युवक की हत्या, शव नहर किनारे फेंका

बंधे हुए थे हाथ, सिर पर मिले चोटों के निशान

संवाद न्यूज एजेंसी

जलालाबाद/नजीबाबाद/नगीना। गांव सरवनपुर के निकट नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान नगीना थाना क्षेत्र के गांव काजीवाला निवासी 30 वर्षीय बिट्टू उर्फ नंदकिशोर के रूप में हुई है। विवाहित बिट्टू शादियों में डीजे बजाता था।

बिट्टू की हत्या कर शव यहां फेंका गया था। उसके हाथ बंधे हुए थे। शव के कुछ दूर काले रंग की बाइक भी खड़ी थी। सूचना पर एसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन, सीओ गजेंद्र पाल सिंह और थानाध्यक्ष राधेश्याम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को उसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया कि युवक रविवार

बिट्टू (फाइल फोटो)।

शादियों में डीजे बजाता था बिट्टू

सुबह से घर से लापता था। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था।

एसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर नमूने एकत्रित किए हैं।

इस बीच हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए युवक के परिजनों ने नगीना-बढ़ापुर मार्ग पर उसके शव को रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। >> शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम : पेज 4

नजीबाबाद में सरवनपुर नहर किनारे पड़ा मिला शव, काजीवाला निवासी नंदकिशोर के रूप में हुई शिनाख्त

युवक की हत्या कर शव नहर किनारे फेंका

सनसनी

नजीबाबाद, संवाददाता। नजीबाबाद में सरवनपुर नहर के निकट सड़क किनारे गड्ढे में युवक का शव मिला, जिसकी शिनाख्त गांव काजीवाला निवासी नंदकिशोर उर्फ बिट्टू के रूप में हुई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार वह रविवार सुबह से ही लापता था। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था।

कोतवाली मार्ग पर सरवनपुर नहर के निकट सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव कपड़े में लिपटा हुआ सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा था। सूचना पर सीओ गजेंद्र पाल सिंह, कोतवाल राधेश्याम, निरीक्षक अपराध अर्जुन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। कुछ देर बाद ही एएसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। शव की शिनाख्त नगीना के गांव काजीवाला निवासी नंदकिशोर उर्फ बिट्टू (40) पुत्र पूरन सिंह के रूप में हुई। बताया गया कि वह रविवार सुबह 10 बजे घर से निकला था और तभी से लापता था। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सोमवार सुबह उसके शव मिलने की सूचना मिली, पास ही उसकी काले रंग की बाइक भी पड़ी मिली। पहले तो लोगों ने इसे दुर्घटना समझा, लेकिन हाथ बंधे, सिर में चोट और नाक से खून निकलता देखा तो हत्या की आशंका जताई।

हत्या की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया और वह ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे। मृतक के भाई इंद्रदेव पुत्र पूरन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि परिजनों ने किसी से दुश्मनी नहीं होने की बात कही है। परिजनों के अनुसार बिट्टू टेंट का काम करता था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सोमवार को नजीबाबाद के नगीना बढ़ापुर मार्ग पर नंदकिशोर हत्याकांड के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।

लावारिस स्कॉर्पियो बनी चर्चा का विषय

नंदकिशोर (फाइल फोटो)

दूसरी ओर गांव में एक लावारिस स्कॉर्पियो मिलने से ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ग्रामीणों की माने तो संभवत इसी स्कॉर्पियो का प्रयोग शव लाने में किया गया होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो का स्टेयरिंग फेल हो गया था, जिसके कारण गाड़ी स्वामी अपने गाड़ी वहीं छोड़ गया होगा।

- सोमवार सुबह 10 बजे से था लापता
- शरीर पर मिले थे चोट के निशान, रिपोर्ट दर्ज

"नजीबाबाद में कोतवाली मार्ग पर मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव नगीना निवासी बिट्टू का था, जो रविवार सुबह से घर से लापता था। पीड़ितों की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। स्वाट, सर्विलांस व स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है, शीघ्र खुलासा किया जाएगा।

डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, एएसपी सिटी, बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 15.06.2024**

थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिक्कावाला निवासी आवेदक द्वारा अज्ञानता में चोरी की झूठी सूचना पुलिस को दिये जाने के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 15.06.2024 को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिक्कावाला निवासी श्री डालचन्द पुत्र छोटे सिंह के घर से नगदी व आभूषण चोरी हो जाने के सम्बंध में खबर प्रकाशित हुई।

उक्त प्रकरण के सम्बंध में अवगत कराना है कि दिनांक 14.06.2024 को श्री डालचन्द पुत्र श्री छोटे सिंह निवासी ग्राम भिक्कावाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा समय प्रातः करीब 04.00 बजे डायल – 112 को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 13/14.06.2024 की रात्रि में उनके घर से अज्ञात चोरों ने 50 हजार रूपये तथा कुछ आभूषण चोरी कर लिये है। सूचना पर स्थानीय पुलिस, पीआरवी एवं फील्ड यूनिट टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवेदक से गहनता से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि आवेदक की पत्नी ने आभूषण व पैसे दूसरी जगह रख दिये थे, जिसकी आवेदक को जानकारी नही थी। प्रातः आवेदक को आभूषण व रूपये नही मिले तो आवेदक ने डायल – 112 को घर में चोरी की सूचना दे दी।

शिकायतकर्ता के घर पर किसी प्रकार की चोरी की घटना होना नही पाया गया तथा चोरी की सूचना असत्य पाई गयी। आवेदक श्री डालचन्द द्वारा अपने घर में किसी प्रकार की चोरी न होने के सम्बंध में लिखित प्रार्थना थाना शेरकोट पर प्रेषित किया गया है।